नवाचार कार्य योजना

2014-15

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

मई, 2014

प्रस्तावना

निष्पादन प्रबंधन प्रभाग (पीएमडी), मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार ने सरकारी मंत्रालयों/ विभागों में एक परिणाम-अभिमुखी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। इस प्रयोजन के लिए चुना गया माध्यम परिणाम-फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफडी) और इसका मूल्यांकन है। आरएफडी से मंत्रालयों/विभागों को वर्ष के दौरान कार्यान्वियत किए जाने हेतु अपेक्षित विशिष्ट कार्यकलापों को चुनने और उनके निष्पादन की मानीटरिंग करने में मदद मिलती है। निष्पादन प्रबंधन प्रभाग का उद्देश्य आरएफडी के माध्यम से मंत्रालयों/ विभागों में वास्तविक निष्पादन का परिणाम अभिमुखीकरण और लक्ष्य मूल्यांकन करने की संस्कृति लाना है।

इसके अतिरिक्त, निष्पादन प्रबंधन प्रभाग ने आरएफडी का उपयोग मंत्रालय/ विभाग में परिपाटी से हटकर विचार करने को बढ़ावा देने के माध्यम के रूप में करने का सुझाव दिया है। इसका आशय पक्षकारों के साथ-साथ मंत्रालय/विभाग से नए विचारों/सुझावों को प्राप्त करने की संस्कृति विकसित करना है जिससे नीतियों/कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। नवाचार संबंधी कार्य योजना कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आरएफडी 2014-15 का एक अनिवार्य भाग है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

कार्रवाई	**सफलता सूचकांक**	**इकाई**	**अधिभार**	**लक्ष्य/मानक मूल्य**				
				उत्कृष्ट	**बहुत अच्छा**	**अच्छा**	**औसत**	**खराब**
				100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
महत्वपूर्ण नवाचार का चयन, डिज़ाइन और कार्यान्वयन	नवाचार में सहायता के लिए कार्य योजना समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	2.0%	15 मई, 2014	17 मई, 2014	18 मई, 2014	19 मई, 2014	20 मई, 2014

इस मंत्रालय के लिए नवाचार कार्य योजना (आईएपी) 2014-15 का उद्देशय पक्षकारों से नए विचार प्राप्त करना और उनका कार्यान्यवन करना है। गत वर्ष मंत्रालय ने एक इकोसिस्टम इनोवेशन सेंटर (ईआईसी) का गठन किया और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रणाली कैसे शुरू की जाए, इसका अध्ययन करने के लिए एक कोर दल बनाया । इस संबंध में मंत्रालय को विभिन्न पक्षकारों से 176 विचार/ सुझाव प्राप्त हुए। चालू वित्तीय वर्ष में, मंत्रालय का लक्ष्य इस दिशा में

आगे कार्रवाई करना और एक ऐसा सांस्थानिक तंत्र शुरू करना है जो मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के कार्यान्वयन में समग्र क्षमता सुधार के उद्देश्य से पक्षकारों से नए विचार प्राप्त करेगा।

निष्पादन प्रबंधन प्रभाग (पीएमडी) द्वारा अप्रैल, 2014 में जारी "भारत में सरकारी विभागों में नवाचार कार्य योजना तैयार करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश" के अनुसार नवाचार कार्य योजना में निम्नलिखित खंड शामिल हैः

खंड 1 : विचार प्रबंधन प्रक्रिया
खंड 2 : बज़ क्रिएशन प्रोसेस
खंड 3 : प्रशिक्षण एवं विकास
खंड 4 : चुनौतियां
खंड 5 : सहभागिता निर्माण
खंड 6 : नवाचार में प्रगति के मूल्यांकन हेतु मानक

खंड 1: विचार प्रबंधन प्रक्रिया

खंड 1.1 स्त्रोत : विचार कहां से आएंगे?

(क) आंतरिक पक्षकार- मुख्यालय, संबद्ध और फील्ड कार्यालयों का स्टाफ और अधिकारी

(ख) ऑनलाइन एमसीए सेवाओं के प्रयोक्ता-व्यवसायिक संस्थानों के सदस्य जो एमसीए-21 पोर्टल पर दस्तावेज़ फाइल करते हैं

(ग) उद्योग संघ

(घ) खुदरा और सास्थानिक निवेशक

(ङ) अन्य पक्षकार

खंड 1.2 **विषय क्षेत्रः** विभाग की नवाचार प्राथमिकताएं क्या हैं?

नवाचार के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों का चयन किया गया है।

(क) कंपनी अधिनियम, 2013/एलएलपी अधिनियम, 2008 की कार्यप्रणाली और प्रशासन में सुधार ताकि कारपोरेट विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

(ख) कारपोरेट शासन और कारपोरेट नियमनों में सुधार

(ग) निवेशक संरक्षण

(घ) निवेशक शिक्षा और जागरूकता

(ङ) बाज़ार में प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहारों को रोकना

(च) मंत्रालय के मानव संसाधनों की कार्यक्षमता में सुधार करना

(छ) मंत्रालय में क्षमता निर्माण

(ज) सिटीज़न चार्टर का प्रभावी कार्यान्वयन

उपर्युक्त सूचना अंतिम नहीं केवल निर्देशात्मक है। मंत्रालय की सेवा सुपुर्दगी, मानव संसाधन प्रबंधन अथवा भौतिक संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार कर सकने तथा कारपोरेट विकास में योगदान दे सकने वाले किसी भी विचार पर विचार किया जा सकता है।

खंड 1.3 **चरणः** एक विचार कितने चरणों से गुजरेगा?

(क) नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा तकनीकी व्यवहार्यता जांच

मंत्रालय में दिनांक 29.8.2014 तक एक "नवाचार प्रकोष्ठ" स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्राप्त होने वाले किसी सुझाव की जांच पहले मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा की जाएगी। पूर्व वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि प्राप्त सुझाव अधिकतर शिकायतें होती हैं। इन मुद्दों की जांच इसी स्तर पर होगी।

नवाचार कक्ष प्राप्त प्रारंभिक विचारों का चयन करने के अलावा नवाचार कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु सचिवालय का कार्य भी करेगा।

(ख) <u>पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार केन्द्र (ईआईसी) द्वारा मूल्यांकन</u>

अपर सचिव (एएस) की अध्यक्षता में एक पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार केन्द्र (ईआईसी) पहले से विद्यमान है। नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा प्रारम्भिक जांच के पश्चात्, उन विचारों को जो औचित्य पूर्ण हों और नवाचार संबंधी मापदंड पर पूरे उतरते हों, को विस्तृत जांच के लिए ईआईसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ईआईसी संभावित लाभ की दृष्टि से विचार का मूल्यांकन करेगा और सुझाव/विचार के कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा अथवा उसे अस्वीकृत करेगा। इसके पश्चात्, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संबंधित प्रभाग(प्रभागों) को एक कार्यालय आदेश द्वारा, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वेबसाइट पर भी डाला जाएगा, ऐसे सुझावों/विचारों को कार्यान्वित करने का निदेश दिया जाएगा।

(ग) <u>ईआईसी द्वारा कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन का पर्यवेक्षण</u>

ईआईसी को लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन तथा इसके द्वारा वांछित प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता के संबंध में संबंधित पक्षकारों से फीडबैक प्राप्त करने का कार्य भी सौंपा जाएगा।

<u>खंड 1.4 **प्रौद्योगिकीः** विभाग विचार प्राप्त करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगा?</u>

(क) विचार बॉक्सः

मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, संबद्ध कार्यालयों और सूचना सुविधा केन्द्रों में विचार बॉक्स रखे जाएंगे। मंत्रालय में ये बॉक्स 15.07.2014 तक रख दिए जाएंगे।

(ख) ऑनलाइन नवाचार पोर्टल

मंत्रालय की वेबसाइट के होम पेज पर एक ऑनलाइन नवाचार पोर्टल लिंक उपलब्ध करा दिया गया है जिसमें यूआरएल - http://www.mca.gov.in/DCAPortalWeb/dca/MyMCALogin.do?ethod=_setDefaultProperty&mode=54 में उपलब्ध फार्मेट के तहत पक्षकारों से नवाचारी विचार आमंत्रित किए गए हैं। इंफोसिस टीम वेब पेज की सामग्री और विषय वस्तु में और सुधार करेगी।

यह वेब लिंक कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सेवाओं के नियमित उपयोगकर्ताओं को ऐसे सुझाव/नवाचारी विचार देने में मदद करेगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 के

प्रावधानों के कार्यान्वयन पहलुओं में सुधार में सहायक होने के साथ-साथ एमसीए द्वारा पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं की कुशलता में सुधार में भी सहायक होगा।

(ग) ई-मेल पता

मंत्रालय द्वारा एक ई-मेल पता <iap@mca.gov.in> उपलब्ध कराया गया है जिस पर नवाचारी विचार भेजे जा सकते हैं। यह ई-मेल पता व्यापार संघों को भेजा जा चुका है और इसका उल्लेख मंत्रालय के मासिक न्यूज लेटर में भी किया जाता है।

खंड 1.5 **चयनः** और विकसित करने के लिए विचारों का चयन कैसे किया जाएगा?

ईआईसी उन नवाचारी विचारों का चयन करेगा जो उनके कार्यान्वयन से होने वाले स्पष्ट लाभों के आधार पर मंत्रालय के कार्य प्रचालन और उसकी सेवाओं में सुधार कर सके। कार्यान्वयन हेतु विचारों की पहचान के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

खंड 1.6 **प्रायोजनः** चयनित विचारों के लिए किस प्रकार के संसाधन आबंटित किए जाएंगे?

मंत्रालय में इस बात पर विचार किया जाएगा कि पक्षकारों से नवाचारी विचार प्राप्त करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराना अपेक्षित है या नहीं। इस प्रयोजनार्थ, ऐसी प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि प्राप्त करना आवश्यक होगा। ईआईसी इस विषय पर विचार करेगा और वर्ष 2014-15 के लिए अपेक्षित निधि आबंटन के लिए इस मंत्रालय के आंतरिक वित्त प्रभाग को एक स्कीम की अनुशंसा करेगा।

निम्नलिखित औरगेनोग्राम ऊपर वर्णित प्रक्रिया की चित्र प्रस्तुति है

चित्र 1 : नवाचारी विचारों का प्रवाह

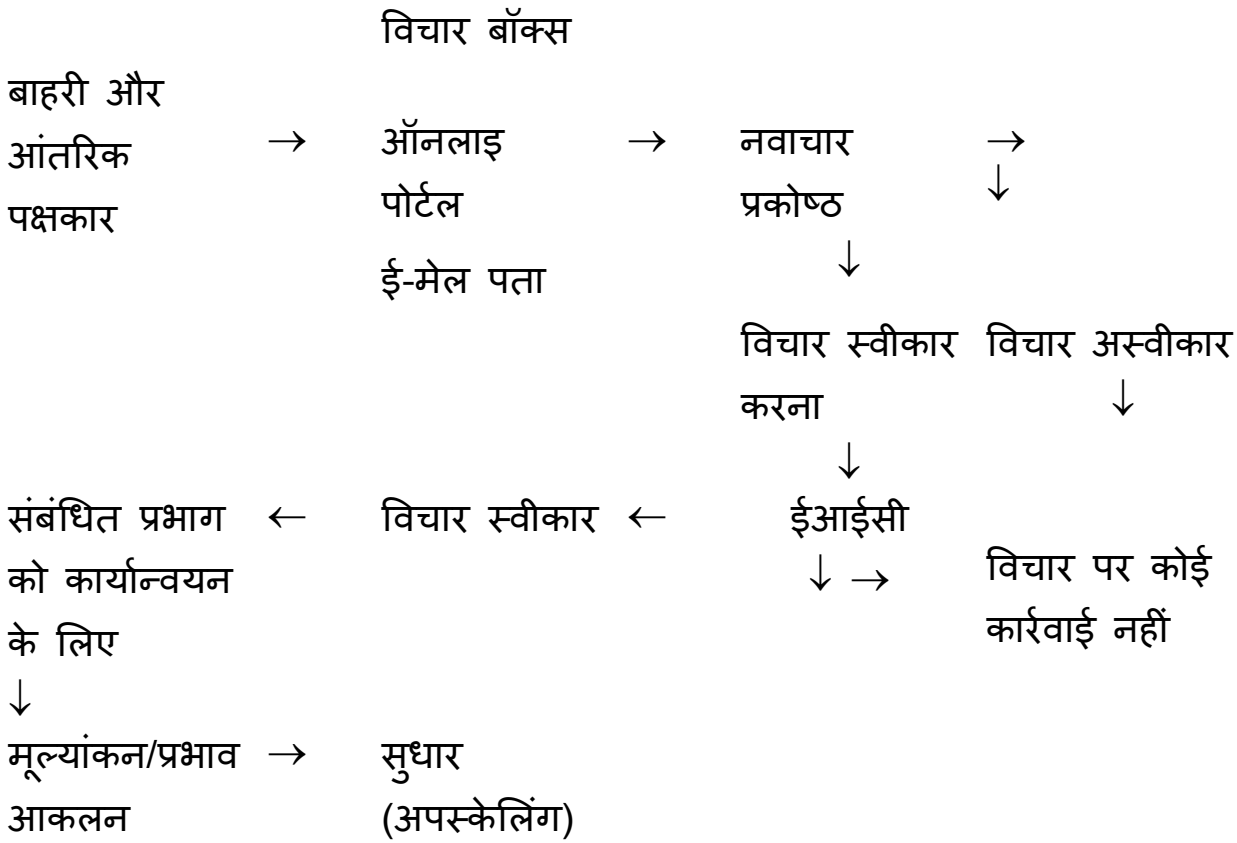

खंड 2 : बज़ क्रिएशन प्रोसेस

मंत्रालय में अभियान और तंत्र जनित ई-मेल

आईईएपी के कार्यान्वयन के मार्गनिर्देश, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए मंत्रालय में अपर सचिव की अध्यक्षता में एक पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार समिति (ईआईसी) का गठन किया गया है। मंत्रालय में कर्मचारियों के मध्य नवाचार के बारे में जागरुकता लाने और उनके द्वारा इसमें योगदान की संभावनाओं के बारे ईआईसी के मार्गनिर्देश में एक अभियान चलाया जाएगा। उन्हें तंत्र जनित ई-मेल भी बेजा जाएगा, जिसमें उन्हें नवाचार का विश्लेसन करने के लिए कहा जाएगा कि कैसे विचारों का उचित उपयोग किया जाय।

मंत्रालय में नवाचार प्रकोष्ठ का गठन

नवाचार के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने तथा प्रचार के माध्यम को संस्थागत करने के लिए एक सहायक समेत अवर सचिव स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक नवाचार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।

भागीदारी निर्माण के उपाय

नवाचार योजना में पक्षकारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई उपाय प्रस्तावित हैं। उनकी चर्चा इस योजना के खंड 5 में की गई है।

खंड 3 प्रशिक्षण और विकास प्रक्रिया

नवाचार के अनुकूल वातावरण तैयार करना

विश्व में सबसे नवाचार संगठन वे हैं जो विभिन्न भागीदारों में संवाद और चर्चा को बढ़ावा देते हैं। सामान्यतया साँचा संगठन या कम वर्गीकरण वाला संगठन अधिमान्य संरचना होता है। फिर भी कठोर परिवर्तन करके संगठन को निर्जीव/सपाट बनाने की सलाह देना ठीक नहीं है। किंतु ज्ञान उन्मुखीकरण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सूचना और जानकारी की गति बढ़ाने की दिशा में कुछ कदम उठाने चाहिए जो कि नवाचार के वातावरण से निरपवाद रूप से जुड़े हुए हैं।

एमसीए का नॉलेज पोर्टल

प्रत्येक प्रभाग को प्रभाग के कार्य के बारे में पावरपॉइंट प्रजेटेंशन/ बुलेट पॉईंट तैयार करने और इसे <इंटरनेट या किसी इंटरनेट नॉलेज शेयरिंग पोर्टल> पर अपलोड करने के लिए कहना इस दिशा में एक छोटा प्रयास होगा। मंत्री महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों के भाषण और प्रस्तुतियां भी इसी पोर्टल पर साझा की जाएंगी । इस तरह सूचना साझा करने से कर्मचारी संगठन के बड़े लक्ष्य और विभिन्न मामलों पर उच्च कार्यकारियों के विचारों से अवगत रहते हैं। इसके अतिरिक्त, एक प्रभाग का कर्मचारी अन्य प्रभागों और मंत्रालय के कार्यों और विकास को समझने और मूल्यांकन करने में अधिक समक्ष होगा। अपेक्षा की जाती है कि विचार उत्पन्न करने के अतिरिक्त नॉलेज पॉर्टल कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक होगा।

प्रभागों की नियमित बैठकें

नियमित बैठकें, जिनमें प्रभाग एवं मंत्रालय के विकास पर चर्चा करने लिए प्रभाग प्रमुख के साथ पूरा प्रभाग एक साथ बैठता है, न केवल परस्पर संवाद को बढ़ावा देती हैं अपितु सामूहिक क्रिया से विचार उत्पन्न होते हैं और उनसे कुछ नए नवाचार उपाय भी निकलते हैं।

प्रत्येक तिमाही में एक बार सभी प्रभाग प्रमुखों को आंतरिक परिपत्र जारी किए जाएंगे, जिनमें अधिकारियों और कर्मचारियों से विचार-मंथन/समूह सत्रों के आयोजन का अनुरोध किया जाएगा।

बाह्य वक्ता

बाह्य वक्ता बुलाये जाएंगे और चालू वित्तीय वर्ष में नवाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वक्तव्यों/ कार्यशालाओं के आयोजन के लिए चार सत्र होंगे।

खंड 4: चुनौती पुस्तिका तैयार करना

मंत्रालय के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से होता भूमंडलीकरण और बदलता कारपोरेट और तकनीकी वातावरण पहले से ही पूरे संसार में नियामक एजेंसियों के लिए बहुत सी चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। निवेशकों और संपूर्ण रूप से पूरे देश के हित की रक्षा के लिए बदलते व्यवसायिक वातावरण के साथ चलना महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, पंजीकृत कंपनियों की संख्या भी बढ़ती है इसलिए लेन-देन में विसंगतियों भी बढ़ती हैं। धीरे-धीरे प्रति कंपनी मंत्रालय के मानव और भौतिक संसाधन भी कम होते जाते हैं। इसलिए नियामक के रूप में नज़र रखना मुश्किल होता जाता है। अतः सुझाव है कि नियामक संगठन अपनी "चुनौती पुस्तिका" रखे और उसकी समय-समय पर समीक्षा करें जिससे वे बदलते समय में अपनी प्रासंगिकता कायम रख सकें।

इस विचार को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ है जिनका वह नवाचार समाधान चाहता हैः

(क) निवेशक संरक्षण

(ख) निवेशक शिकायत समाधान

(ग) निवेशक शिक्षा

(घ) अनुवीक्षण एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना

(ङ) विभिन्न आवेदनों की उत्कृष्ट जांच और समय पर निपटान

(च) भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए आईसीएलएस संवर्ग के लिए आईटी सक्षम दल के लिए क्षमता निर्माण

(छ) कंपनियों का परिसमापन

(ज) मंत्रालय के विभिन्न भागों/अनुभागों/इकाइयों/ फील्ड कार्यालयों में समन्वय

(झ) डाटा गुणवता में सुधार और प्रभावी डाटा प्रसार

(ञ) संभाव्य धोखे का पता लगाने के लिए पूर्व चेतावनी तंत्र

(ट) मंत्रालय के स्थापना, अधिप्राप्ति में पारदर्शिता आदि क्षेत्रों के आंतरिक कार्यपद्धति में सुधार

(ठ) मंत्रालय के कर्मचारियों के कल्याण और मनोरंजन कार्यकलाप

(ड) मंत्रालय और देश के नागरिकों के बीच संवादहीनता को कम करना।

खंड 5: भागीदारी निर्माण

प्रोत्साहन संरचना

यथासंभव अधिक विचार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन संरचना तैयार करने की आवश्यकता है। आंतरिक और बाह्य पक्षकारों के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन संरचना होगी।

इस दिशा में प्रारंभ करते हुए, वर्ष के छः सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तकों को प्रति प्रवर्तक 50,000/- रूपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें से तीन प्रवर्तक मंत्रालय और संबद्ध/फील्ड कार्यालयों के होंगे और तीन का चयन ब्राह्य पक्षकारों में से किया जाएगा। अन्य आठ प्रवर्तकों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में प्रति प्रवर्तक 25,000/- रूपए दिए जाएंगे, जिनमें से चार आंतरिक और चार बाह्य पक्षकार होंगे। पुरस्कार वार्षिक समारोह में दिए जाएंगे, जिसमें एक प्रमाणपत्र और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।

ऐसे विचार जिन्होंने अधिक प्रभाव डाला हो को, उनके सफल कार्यान्वयन के बाद प्रति विचार 15,000/- रूपए का अतिरिक्त पुरस्कार दिया जाएगा।

नवाचार को सूचना-पत्र में प्रकाशित करना

ईआईसी द्वारा "नवाचार" के रूप में चयनित विचारों को प्रवर्तक की फोटो और परियोजना के संक्षिप्त विवरण के साथ मासिक सूचना-पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

जन-संचार का प्रयोग

अगर प्रवर्तक कर्मचारी नहीं है तो उसके योगदान को मुख्य समाचार चैनलों और समाचार पत्रों के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। आधुनिक युग में, जनता पर जन-संचार चैनलों का अत्यधिक प्रभाव है। ऐसे अभियान सिर्फ प्रवर्तक को पुरस्कृत करने के लिए ही नहीं हैं अपितु यह विचार उत्पन्न होने तथा मंत्रालय में औपचारिक चैनल के माध्यम से उसे प्राप्त करने के अंतर को कम करने के लिए श्रेष्ठ प्रचार अभियान हो सकता है।

<u>जन समूह-विचारों का स्त्रोत</u>

बहुत बार विनियम और सेवाओं को प्राप्त करने वाले नागरिकों के पास इस संबंध में बेहतर विचार होते हैं कि कुछ सेवाएं किस प्रकार उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बहुत लोग इस विषय में गहन रूचि रखते हैं कि सेवाओं की सुपुर्दगी किस तरीके से सुधारी जा सकती है। विकीपीडिया.ओआरजी जैसी ओपनसोर्स वेबसाइटों की सफलता इसका मुख्य उदाहरण है कि अगर लोगों को ऊर्जा और विचारों की अभिव्यक्ति का उचित माध्यम मिल जाए तो इससे चमत्कार किए जा सकते हैं।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है मंत्रालय की वेबसाइट के मुख पृष्ठ पर सुझाव के लिए एक अलग कुंजी बनाई जा सकती है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे अधिक चमकीला बनाया जा सकता है।

पक्षकारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन दायर करने की प्रक्रिया पूर्ण करते ही, सुझाव के लिए एक लिंक उपलब्ध कराया जा सकता है। ताकि विचारों को लोगों के दिमाग से गायब होने से पहले ग्रहण किया जा सके। इससे मंत्रालय को कुछ और चुनौतियों का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।

खंड-6 नवाचार की प्रगति को मापने के लिए मापन पद्धतिः

चालू वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निम्नलिखित होंगेः-

तालिका2: कार्य, लक्ष्य और उपलब्धि मापन

क्र. सं.	**कार्य/उपलब्धि मापन**	**लक्ष्य**
1.	ईआईसी का पुनर्गठन	02.06.2014
2.	नवाचार इकाई का गठन कब तक कर लिया जाएगा	16.06.2014
3.	नवाचार का ऑनलाइन पॉर्टल और एमसीए के मुख पृष्ठ पर एक पृथक टेब बनाना	31.12.2014
4.	मंत्रालय मुख्यालय और संबद्ध/फील्ड कार्यालयों में विचार बॉक्स रखना	29.08.2014
5.	प्राप्त विचारों की संख्या	250
6.	वर्ष के दौरान कर्मचारियों से प्राप्त विचारों की संख्या	50
7.	कम से कम एक विचार देने वाले कर्मचारियों की संख्या	20
8.	प्रत्येक तिमाही में प्राप्त विचारों पर ईआईसी न्यूनतम कितनी बार निर्णय ले सकता है।	1

----------xxxx----------